अनुदान संख्या 87 - जैव प्रौद्योगिकी विभाग
GRANT No. 87 – DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत -	Voted –					
मूल	Original	1426,92,00		1426,96,00	1208,43,04	- 218,52,96
पूरक	Supplementary	4,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					216,50,74

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	14000.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	- 14001.00			
मुख्य शीर्ष "3425"	Major Head "3425"				
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research				
मू.	O.	127225.00			
पू.	S.	3.00	119640.26	119464.35	- 175.91
पु.	R.	- 7587.74			

(I) ₹14001.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता" के अंतर्गत निम्नालिखित शीर्षों के अंतर्गत दस मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा :-

(का) "स्वायत्त अनुसंधान और विकास संस्थाएं (वैज्ञानिक संस्थाएं/व्यावसायिक निकाय)" - ₹2390.00 लाख ;

(खा) "मानव संसाधन विकास" - ₹700.00 लाख ;

(गा) "जैव सूचना विज्ञान" - ₹300.00 लाख ;

(घा) "अनुसंधान और विकास" - ₹8111.00 लाख (मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) ;

(ङ) "समाज विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी" - ₹500.00 लाख;

(चा) "विशाल चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम" - ₹600.00 लाख ;

(छा) "उत्कृष्टता और अभिनव परिवर्तन के संवर्धन के लिए कार्यक्रम" - ₹600.00 लाख;

(जा) "जैव-प्रौद्योगिकी सुविधाओं के लिए सहायता अनुदान" - ₹400.00 लाख ; और

(झा) "अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-अन्य-अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" - ₹200.00 लाख।

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ञ) "आई एंड एम सेक्टर" - ₹200.00 लाख कोई व्यवहार्य परियोजना/कार्यकलाप प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "3425" - "अन्य" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) "अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता" -

(I) Provision of ₹14001.00 lakhs remained wholly unutilised in ten cases under Major Head "2552"- "Other Scientific Research – Assistance to Other Scientific Bodies"- under the following heads:-

(A) "Autonomous R and D Institutions (Scientific Institutions/Professional Bodies)"- ₹2390.00 lakhs;

(B) "Human Resource Development"- ₹700.00 lakhs;

(C) "Bioinformatics"- ₹300.00 lakhs;

(D) "Research and Development"- ₹8111.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2012);

(E) "Biotechnology for Societal Development"- ₹500.00 lakhs;

(F) "Grand Challenge Programmes"- ₹600.00 lakhs;

(G) "Programme for Promotion of Excellence and Innovation"- ₹600.00 lakhs;

(H) "Grants-in-aid for Biotech Facilities"- ₹400.00 lakhs; and

(I) "Other Scientific Research - Others - International Cooperation" - ₹200.00 lakhs.

Provisions under the above nine heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(J) "I and M Sector"- ₹200.00 lakhs - due to non-receipt of any viable project/activities.

(II) Under Major Head "3425" - "Others" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Assistance to Other Scientific Bodies" –

(क) "स्वशासी अनुसंधान और विकास संस्थाएं (वैज्ञानिक संस्थाएं/व्यावसायिक निकाय)" - ₹948.40 लाख की बचत (नवम्बर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹37836.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं/कार्यकलापों को कम संख्या में अनुमोदन प्रदान किए जाने और कार्यकलापों की गति धीमी होने के कारण हुई।

(ख) "समाज विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी" - ₹545.55 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ;

(ग) "आई एंड एम सेक्टर - (प्रौद्योगिकी उष्मायित्रों प्रायोगिक परियोजनाओं, जैव प्रौद्योगिकी उद्यानों और जैव प्रौद्योगिकी विकास निधि के लिए सहायता" - ₹1500.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ;

(घ) "आई एंड एम सेक्टर - सार्वजनिक निजी भागीदारी" - ₹7602.12 लाख की बचत (₹15800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ;

(ङ) "विशाल चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम" - ₹597.46 लाख की बचत (₹5900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम और वैज्ञानिक सलाहकार समिति (समुद्रपार)" - ₹410.54 लाख की बचत (₹3300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें परियोजनाओं/कार्यकलापों को कम संख्या में अनुमोदन प्रदान किए जाने और स्कीम के कार्य की धीमी प्रगति होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुईं।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹3740.56 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3425" - "अन्य - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले से सूचित कर दिया गया था :-

(a) "Autonomous R and D Institutions (Scientific Institutions/Professional Bodies)" - saving of ₹948.40 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹37836.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in November, 2011) was due to approval of less number of projects/activities and slow pace of activities.

(b) "Biotechnology for Societal Development" – saving of ₹545.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs);

(c) "I and M Sector – Assistance for Technology Incubators, Pilot Projects, Biotechnology Parks and Biotech Development Fund" – saving of ₹1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs);

(d) "I and M Sector – Public Private Partnership" – saving of ₹7602.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15800.00 lakhs);

(e) "Grand Challenge Programmes" - saving of ₹597.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5900.00 lakhs); and

(B) "International Cooperation - International Bilateral Programmes and Scientific Advisory Committee (Overseas)" - saving of ₹410.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3300.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to approval of less number of projects/activities and reduction of provision at revised estimate stage owing to slow progress of work of scheme.

2. The above savings were partly (₹3740.56 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in November, 2011 and March, 2012 under Major Head "3425" -"Others - Assistance to Other Scientific Bodies" - under the following heads:-

(I) "मानव संसाधन विकास" - ₹897.73 लाख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹888.72 लाख था।

(II) "अनुसंधान और विकास" - ₹1425.83 लाख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1403.80 लाख था।

(III) "जैव प्रौद्योगिकी सुविधाएं" - ₹1417.00 लाख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1416.74 लाख था।

(I) "Human Resource Development" - ₹897.73 lakhs. Actual excess, however, was ₹888.72 lakhs.

(II) "Research and Development" - ₹1425.83 lakhs. Actual excess, however, was ₹1403.80 lakhs.

(III) "Biotech Facilities" - ₹1417.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1416.74 lakhs.